समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा–II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक V-11018/11/2011 आर्म्स दिनांक 31.12.2012 के आलोक में इस जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का Database NIC द्वारा विकसित विहित प्रपत्र में तैयार किया जाना है।

इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों को विहित प्रपत्र में डाटा उपलब्ध कराने हेतु सूचना दिनांक 12.01.2014 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' एवं 'राष्ट्रीय सहारा' तथा दिनांक 12.09.2014 को 'हिन्दुस्तान' के माध्यम से दिया गया है। पुनः अनुज्ञप्तिधारियों को व्यक्तिगत नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से भेजते हुए डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना भरकर जमा नहीं किया गया। इनके द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीकरण भी लम्बे समय से नहीं कराया जा रहा है।

अनुज्ञप्तिधारियों को भेजे गये निबंधित लिफाफा को विभिन्न कारण लगाकर जो सूची के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित है, वापस कर दिया गया है अथवा निर्धारित समय तक कोई जबाव नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जहानाबाद जिला में निवास नहीं किया जा रहा है बल्कि अन्य जिला/राज्य में निवास किया जा रहा है। इनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने तथा इससे संबंधित वांछित सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने में कोई भी रूची नहीं ली गई।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे अनुज्ञप्तिधारियों जिनकी सूची आदेश के साथ संलग्न है, को ओ0डी0 पंजी–01 एवं 02 की सूची से विलोपित किया जाता है।

ह0/–

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक: 79 /शस्त्र दिनांक: 17/01/2015

प्रतिलिपिः– सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के वेवसाईट पर सूची को प्रदर्शित करें।

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/1/15

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।